

# कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या : /भवन/निविदा/2019-20

दिनांक : 31 जुलाई 19

## निविदा-सूचना


समस्त निविदा दाताओं को सूचित किया जाता है, कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी में भवन एवं जलकल अनुभाग में सेनेटरी सामग्री आपूर्ति, लघु निर्माण एवं अनुरक्षण एवं पम्प हाउस की मोटर बाईडिंग एवं अन्य सम्बन्धी अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक 20-08-2019 तक टू बिड्स सिस्टम पर आधारित (तकनीकी एवं वित्तीय अलग अलग लिफाफों में सील बन्द) निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी/शर्तें एवं निविदा प्रपत्र कालेज की वेब साइट [www.mlbcj.in](http://www.mlbcj.in) पर एवं कालेज की देखी जा सकती है।

निविदा शुल्क प्रत्येक निविदा हेतु अलग अलग	रु0 1180-00 (समस्त कर सहित)
निविदा प्रपत्र बिक्री दिनांक	03-08-2019 से 19-08-2019 समय 01:00 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में
निविदा स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	20-08-2019 समय 04:50 बजे तक
निविदा खोले जाने की दिनांक	21-08-2019 समय 03:30 बजे अपराह्न

प्रधानाचार्य,  
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या : 3894/भवन/निविदा/2019-20, तददिनांक ।

- 1- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- संयोजक कय समिति, मेडिकल कालेज, झाँसी ।
- 3- सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला, झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञापन को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में कम से कम जगह में डी0ए0वी0पी0 दर पर दिनांक 02-08-2019 के अंक में प्रकाशित कराने तथा विज्ञापन सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित करने की कृपा करें-
- 4- प्रभारी अधिकारी-वेब साइट को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापित को कालेज की वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5- सूचना पट पर चस्पा करने हेतु ।

  
प्रधानाचार्य,  
मेडिकल कालेज झाँसी।

# सेनेटरी सामग्री आपूर्ति निविदा

## नियम एवं शर्तें

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में 02 वर्षों (2018-19 एवं 2019-20/आगामी निविदा अनुमोदित होने तक) के लिये सेनेटरी सामग्री आपूर्ति हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित/पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कृपया नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक पढ़ ले, वांछित समस्त प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अपूर्ण निविदायें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

- 1- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र दो बिड्स सिस्टम के अनुरूप (अ) तकनीकी लिफाफा एवं (ब) वित्तीय लिफाफा होगी, जिसे एक बड़े लिफाफे में भरकर सील करके निविदा बॉक्स में डालना होगा।
- 2- धरोहर राशि ₹0 25000-00 की जमा रसीद मूल रूप में ही मान्य होगी।
- 3- नियम एवं शर्तें मूलरूप में हस्ताक्षर युक्त (जिस पर निविदादाता का स्वयं द्वारा सत्यापित फोटों, स्पष्ट नाम एवं पता अंकित हो) जमा करना होगा।
- 4- जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- 5- विगत 3 वर्षों का व्यापार कर क्लियरेंस/जमा रसीद एवं आयकर असेसमेन्ट की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी।
- 6- वित्तीय निविदा में अंकित दर चिकित्सालय स्टोर तक का ढुलाई भाड़ा तथा स्थानीय कर आदि सहित सभी कर सम्मिलित होगा।
- 7- यदि तकनीकी लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र नहीं उपलब्ध होंगे तो उक्त निविदादाता के वित्तीय लिफाफे को नहीं खोला जायेगा, तथा उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8- निविदा के साथ ₹0 25,000-00 (₹0 पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि, जो कि प्रधानाचार्य महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी के पक्ष में देय, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी नवीन फिक्स डिपोजिट रसीद के रूप में निविदा तिथि से 2 वर्ष से कम न हो, को संलग्न करना अनिवार्य है। जिसे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने/निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिया जायेगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 9- वेबसाइट पर प्रकाशित अंतिम तिथि तक डाउनलोड की हुई निविदा मान्य होगी। वेबसाइट से डाउनलोड की गयी निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी निविदा मूल्य 1000.18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रधानाचार्य महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 10- मुल निविदा से भिन्न निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11- निविदादाताओं को शासकीय/स्वयत्त/राजी संस्था/चिकित्सालयों में आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिये। निविदा दाता इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करेगे।
- 12- तकनीकी बिड्स खोलने के समय माँगे जाने पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 13- निविदा दर अनुमोदित होने पर अनुबन्ध हेतु निविदादाता पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कालेज द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध नहीं करता है तो निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, तथा उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं द्वितीय प्राथमिकता/वरीयता की अनुमोदित फर्म से अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।
- 14- निविदा दर अनुमोदित होने निविदादाता को 100 ₹0 के स्टाम्प पेपर पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर दर अनुबन्ध करना होगा, जिसके साथ ₹0 10000-00 की धनराशि प्रतिभूति/जमानत हेतु जमा करना होगा। धरोहर राशि को आवश्यकता पड़ने पर जमानत राशि के रूप में समायोजित किया जा सकता है।

- 15- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने/निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति करने में असमर्थ रहने, उच्च अधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों का पालन न करने, घटिया सामग्री आपूर्ति करने की दृष्टि में अनुबन्धित फर्म को ब्लैक लिस्टिड/दर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 16- निविदा में अंकित मूल्य अनुबंध पूर्ण अवधि (2 वर्ष) के लिये मान्य होंगे। निविदादाता को अनुबंध की अवधि में अनुमोदित दरों पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। निविदा की अवधि को आवश्यकता पड़ने पर आगामी एक वर्ष अथवा नई निविदा अनुमोदित होने तक जो भी बाद में हो, के लिये बढ़ाया जा सकता है, जो कि अनुमोदित दर पर मान्य होगी।
- 17- निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण समय समय पर प्रभारी द्वारा किया जायेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता खराब पायी जाती है तो देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 18- निविदादाता को आपूर्ति आदेशों के साथ कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आपूर्ति किये गये सामान का बीजक 3 प्रतिशत में देना होगा, जिसे बजट उपलब्धता के अनुसार 30 दिन में भुगतान किया जायेगा। भुगतान में विलम्ब के कारण निविदादाता सामग्री की आपूर्ति नहीं रोकेगा।
- 19- वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा फार्म तथा कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म विधिक रूप से मान्य होंगे।
- 20- निविदा दाता को फर्म के ब्लैकलिस्टिड न होने का नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- 21- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज झाँसी को निविदा दायक की निविदा को बिना कारण बताये समस्त या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दाता किसी भी न्यायालय में वाद करने हेतु मान्य नहीं होगा।
- 22- अन्य शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया गया है, जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा एवं इस निविदा का अभिन्न अंग माना जायेगा।
- 23- सामग्री आपूर्ति का प्रदाय आदेशों आवश्यकतानुसार निर्गत किया जावेगा।
- 24- स्वीकृत निविदा दाता को नोटरी शपथ पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सामग्री अनुमोदित दर से कम दर में कहीं अन्यत्र आपूर्ति नहीं की गयी है।
- 25- सामग्री का स्पेसिफिकेशन जो पी0डब्लू0डी0 फ़ाइल रेट में वर्णित हैं, वहीं निर्धारित मानी जायेगी।
- 26- निविदा दाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 27- अनुबंध से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज झाँसी का निर्णय अन्तिम होगा, जो निविदादाता को मान्य होगा। कोई भी न्यायिक विवाद केवल झाँसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।
- 28- निविदा दाता यह सुनिश्चित कर लिया जो कि जो दर वे कोट कर रहे हैं उसमें समस्त कर आवश्यक रूप से सम्मिलित कर लिये गये हैं। अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 29- स्वीकृत निविदादाता दर अनुबंध को किसी अन्य फर्म को सबलेट/स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा।
- 30- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हो उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी  
भवन एवं जलकल

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज झाँसी

## प्रपत्र संलग्नक सूची

क्रम संख्या	प्रपत्र विवरण	संलग्नक
1	फिक्स डिपोजिट रसीद संख्या दिनांक बैंक का नाम	
2	डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम	
3	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र के साथ जी0एस0टी0 पहचान संख्या	
4	आयकर विभाग का पैन नं0 प्रमाण पत्र	
5	अनुभव प्रमाण पत्र	
6	आयकर असेसमेन्ट	
7	अन्य विवरण यदि कोई हो-	
8		

नोट:

- 1) निविदादाता द्वारा समस्त प्रपत्र स्वप्रमाणित होना चाहिये
- 2) समस्त प्रपत्रों में क्रमांक अंकित होना चाहिये।
- 3) समस्त प्रपत्र उपरोक्त क्रमानुसार होना चाहिये।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
नाम एवं विवरण

## घाषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा की उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को भलीभाँति पढ़कर समझ लिया है, जो कि मुझ/हमें स्वीकार है।

मैं/हम सहमति देते हैं, कि यदि निविदा प्रपत्र में किसी भी समय कोई गलत प्रपत्र, त्रुटि या गलत सूचना पायी जाती है तो मेरा/हमारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाये एवं मेरी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाये। कालेज प्रशासन को अनुबन्ध की अवधि में देयको के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि पर ब्याज सहित वसूली के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही का अधिकार होगा।

निविदादाता/निविदादाताओं के हस्ताक्षर एवं मुहर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

मोबाईल नं०.....

धरोहर राशि का विवरण:

फिक्स डिपोजिट रसीद संख्या..... दिनांक.....

जारी करने वाले बैंक का नाम.....